



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2009/आश्विन 7, 1931

No. 559]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2009/ASVINA 7, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2009

सं. 111/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 709(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चाईनीस ताईपेई (ताईवान) और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल पॉलीस्टर फिल्म (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध माल भी कहा गया है) जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 3920 69 के अंतर्गत आते हैं, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 101/2004-सीमा-शुल्क, तारीख 29 सितम्बर, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा. का. नि. 648(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2004 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/17/2008-डीजीएडी, तारीख 14 अगस्त, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में तारीख 14 अगस्त, 2008, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी;

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 100/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 29 अगस्त, 2008 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 29 अगस्त, 2008, सा.का.नि. 626(अ), तारीख 29 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित हुई थी, के तहत संबद्ध देशों में उद्गमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की अवधि 25 अगस्त, 2009 तक बढ़ा दी गई थी, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित थी;

और, जबकि, अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्षों जो अधिसूचना सं. 15/17/2008-डीजीएडी, तारीख 13 अगस्त, 2009 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 13 अगस्त, 2009 में प्रकाशित हुई, संबद्ध देशों से संबद्ध माल आयात करने पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित समीक्षा के संदर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि —

- (क) संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं और ताइवान और यूएई से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन काफी अधिक एवं न्यूनतम सीमा से ज्यादा है ;
- (ख) संबद्ध वस्तु के भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आने की संभावना है और ताइवान और यूएई से आयातों के संबंध में संभावित पाटन मार्जिन काफी अधिक एवं न्यूनतम सीमा से ज्यादा है ;
- (ग) वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु के पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है ;
- (घ) आगे, वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क के खंडन की अवस्था में, पाटन के जारी रखने की संभावना है, और पाटन से घरेलू उद्योग की क्षति होने की संभावना है ।

और, अभिहित प्राधिकारी ने, घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने हेतु संबद्ध देश के अलावा मूल रूप से उद्गमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त निष्कर्षों के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि और अवतरण मूल्य के अंतर के बराबर की राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं०	उपशीर्ष	माल का विवरण	विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन इकाई	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3920 69	सन और/या डस्ट कंट्रोल पॉलीस्टर फिल्म	कोई विशिष्टता	वाईनीस ताईपेइ	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	7.99	किलोग्राम	अमरीकी डालर
2	3920 69	सन और/या डस्ट कंट्रोल पॉलीस्टर फिल्म	कोई विशिष्टता	यूएई के सिवाय कोई अन्य देश	वाईनीस ताईपेई	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	7.99	किलोग्राम	अमरीकी डालर
3	3920 69	सन और/या डस्ट कंट्रोल पॉलीस्टर फिल्म	कोई विशिष्टता	यूएई	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	8.17	किलोग्राम	अमरीकी डालर
4	3920 69	सन और/या डस्ट कंट्रोल पॉलीस्टर फिल्म	कोई विशिष्टता	वाईनीस ताईपेई के सिवाय कोई अन्य देश	यूएई	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	8.17	किलोग्राम	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना का प्रभाव भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष तक रहेगा और प्रतिपाटन शुल्क भारतीय करेंसी में संदत होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए

(क) "अवतरण मूल्य" से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 8ख, धारा 9 और धारा 9क के अधीन उद्ग्रहीत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क आते हैं;

(ख) प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी

[फा. सं. 354/91/2003—टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2009

No. 111/2009-Customs

G.S.R. 709(E).—Whereas, the designated authority, *vide* its notification No. 15/17/2008-DGAD, dated the 14th August, 2008, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, Extraordinary, dated the 14th August, 2008, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping on imports of Sun/Dust Control Polyester Film (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Sub-heading 3920 69 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Chinese Taipei (Taiwan) and United Arab Emirate (UAE) (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 101/2004- CUSTOMS, dated the 29th September, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 29th September, 2004;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries upto and inclusive of the 25th August, 2009 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 100/2008- Customs, dated the 29th August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 626 (E), dated the 29th August, 2008;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping on import of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries, the designated authority had *vide* its final findings issued *vide* notification No. 15/17/2008-DGAD, dated 13th August, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th August, 2009, come to the conclusion that-

(i) the subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from Taiwan and UAE are substantial and above de-minimis;

(ii) the subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices and the likely dumping margins in respect of imports from Taiwan and UAE will be substantial and above de-minimis;

(iii) the subject goods are likely to enter Indian market at dumped prices, should the present measures be withdrawn;

(iv) Further, should the present anti dumping duties be revoked, injury to the domestic industry is likely to continue and intensify,

and therefore, had recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the said sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producer as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the country as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporter as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to difference between the amount mentioned in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table and the landed value of imported goods in like currency as per like unit of measurement.

Table

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3920 69	Sun and/or Dust Control Polyester Film	Any specification	Chinese Taipei	Any country	Any producer	Any exporter	7.99	Kilogram	US Dollar
2.	3920 69	Sun and/or Dust Control Polyester Film	Any specification	Any country except UAE	Chinese Taipei	Any producer	Any exporter	7.99	Kilogram	US Dollar
3.	3920 69	Sun and/or Dust Control Polyester Film	Any specification	UAE	Any country	Any producer	Any exporter	8.17	Kilogram	US Dollar
4.	3920 69	Sun and/or Dust Control Polyester Film	Any specification	Any country except Chinese Taipei	UAE	Any producer	Any exporter	8.17	Kilogram	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The anti-dumping duty shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification,-

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act, 1975;

(b) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the Customs Act, 1962.

[F.No.354/91/2003-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

3528 GT/09-2